मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 15 /06/2018

क्रमांक: 966/410/2016/अ-तेहत्तर : राज्य शासन एतद द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्ष 2017-18 के लिये निर्धारित छूट/रियायत वर्ष 2018-19 तथा उसके पश्चात् आगामी आदेश तक के लिये यथावत रखी जावे, अर्थात् म0प्र0 राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015 की कंडिका 10.1 के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग तथा उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के औद्योगिक क्षेत्रों मे औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित भू-खण्डों के लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा उसके पश्चात् आगामी आदेश तक भूमि के मूल्य में निम्नानुसार छूट प्रदान की जावे :-

(1) सभी इकाइयों के लिए-

क्र	भूमि का क्षेत्रफल	भूमि के मूल्य में छूट का प्रतिशत
1	500 वर्गमीटर तक	90 प्रतिशत
2	5000 वर्गमीटर तक	80 प्रतिशत
3	2 हैक्टेयर तक	65 प्रतिशत
4	6 हैक्टेयर तक	50 प्रतिशत
5	20 हैक्टेयर तक	25 प्रतिशत

(2) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए -

क्र	भूमि का क्षेत्रफल	भूमि के मूल्य में छूट का प्रतिशत
1	500 वर्गमीटर तक	95 प्रतिशत
2	5000 वर्गमीटर तक	90 प्रतिशत
3	2 हैक्टेयर तक	80 प्रतिशत
4	6 हैक्टेयर तक	50 प्रतिशत
5	20 हैक्टेयर तक	25 प्रतिशत

नोटः- प्रब्याजि की उपरोक्त दरें केवल औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डों के लिए लागू होंगी तथा भूमि के मूल्य में छूट की गणना स्लेब (टेलिस्कोपिक) पद्धति से की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.एल.कान्तिराव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ.क्रमांक: 967/410/2016/अ-तेहत्तर भोपाल,दिनांक 15/6/18

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,(समन्वय) मध्यप्रदेश शासन मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
4. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र.ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. नियंत्रक शासन मुद्रण एवं लेखा सामग्री म.प्र.भोपाल को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग